भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1860

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बदायूं में भूजल का अति-दोहन

1860. श्री आदित्य यादव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भूजल के निरंतर ह्रास और अति-दोहन की गंभीर समस्या, जिससे कई ब्लॉकों में कृषि, पेयजल की उपलब्धता और ग्रामीणों, विशेषकर कुओं और ट्यूबवेल पर निर्भर लोगों की आजीविका को खतरा पैदा हो रहा है, का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा कृत्रिम भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं को लागू करने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने, बोरवेल ड्रिलिंग को विनियमित करने और जल संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से किए गए गतिशील भूजल संसाधन आकलन, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 80,131 हेक्टेयर मीटर (एचएएम) आंका गया है। वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 74,009 हेक्टेयर मीटर है और सभी उपयोगों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण अनुमानतः 58,756 हेक्टेयर मीटर है। इन तथ्यों के आधार पर, बदायूं जिले के लिए भूजल निष्कर्षण (एसओई) का चरण लगभग 79.39% है, यह 'अर्ध-गंभीर' श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके साथ-साथ बदायूं जिले के लिए भूजल निष्कर्षण के स्तर में वर्ष 2024 के 83% आकलन की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की कुल 15 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों) में से 02 इकाइयों को 'अतिदोहित' (जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण, निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन से अधिक है) 09 इकाइयों को 'अर्ध-गंभीर' और 04 इकाइयों को 'सुरक्षित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

(ख): सरकार विवेकपूर्ण उपयोग और ठोस संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देकर देश के जल और भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जल राज्य का विषय है, जल और भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित किया जाता है। सरकार द्वारा कृत्रिम भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने, भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित देश में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

i. देश के जल/भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार के प्रयास मुख्य रूप से जल शक्ति अभियान के फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से किए जाते हैं। जेएसए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष संचालित किए जाने वाला एक समयबद्ध और मिशन मोड कार्यक्रम है, इसमे जमीनी स्तर पर जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के तहत सभी प्रयासों और निधियों का समन्वय किया जाता है।

   वर्तमान में, देश में जेएसए 2025 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में देश में अभिसरण के माध्यम से लगभग 1.21 करोड़ जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों को समन्वय कर पूर्ण किया गया है, जिसमें बदायूं जिले में 20,693 संरचनाएं हैं । इस अभियान ने भूजल संसाधनों की स्थायित्वता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ii. जल शक्ति अभियान की गति को और सुदृढ़ करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत में जल स्थिरता के लिए जल संचय जन भागीदारी, समुदाय-संचालित अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाना है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी और स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास करती है।

iii. देश के जलभृतों की मैपिंग और राष्ट्र के भूजल संसाधनों की वृहद स्तर पर जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम नेक्यूम 1.0 के सफल समापन के पश्चात केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा विशेष रूप से जल की कमी वाले और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्यूम 2.0 के तहत विस्तृत, वैज्ञानिक आकड़ों के सृजन हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है जो स्थायी भूजल प्रबंधन हेतु सटीक निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करते हैं।

iv. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना - 2020 तैयार किया गया है। यह योजना देश में 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल का दोहन / संचयन करने के लिए लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। इस मास्टर योजना को उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के साथ साझा किया गया है। मास्टर प्लान में बदायूं जिले में चेक डैम, नाला बांध, सीमेंट प्लग, रिचार्ज शाफ्ट, तालाब आदि और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं सहित लगभग 1316 पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर अभियान का आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 218 बदायूं जिले में हैं जिससे जल भंडारण में संवर्धन और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है।

vi. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2015-16 से पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । यह योजना भूजल के संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है।

vii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में भूजल निष्कर्षण के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है और भूजल के विनियमन के उद्देश्य से दिनांक 24.09.2020 को अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक दोहन को विनियमित करने के लिए वैध एनओसी के बिना निष्कर्षण भारी जुर्माना और पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसी) अति दोहित क्षेत्रों में नए बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना, अवैध निष्कर्षण के लिए बोरवेल को सील करने जैसे कड़े उपायों को इन दिशा-निर्देशों में अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम-2019 के तहत भूजल निष्कर्षण को विनियमित किया जा रहा है। इस अधिनियम में भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने के अलावा, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उनके द्वारा किए गए निष्कर्षण की भरपाई हेतु वर्षा जल संचयन प्रणाली संस्थापित करना भी अनिवार्य कर दिया है।

viii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना के माध्यम से समुदाय आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन की प्रभावकारिता का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। इस योजना को 7 राज्यों नामतः हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जल की कमी वाले 80 जिलों में लागू किया गया था। भूजल संसाधनों के संवर्धन और कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से जल पर अत्याधिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और चेक डैम, तालाबों, शाफ्ट आदि जैसी पुनर्भरण संरचनाओं के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है।

*****